A 4/1

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 132/2022

1. उम्मेद सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह, जाति जाट, निवासी ग्राम बास बुडाना, तहसील झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं।
2. हरिसिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह, जाति जाट, निवासी ग्राम बास बुडाना, तहसील झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं।

—— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं।

—— रेस्पोडेन्ट

——

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 07.07.2022 बदालत तहसीलदार झुंझुनूं उनवानी राजस्थान सरकर बनाम उम्मेद सिंह वगैरह, मु0न0 196/2021, अ0धा0 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

——

उपस्थितः–

1. श्री अमित कुमार शर्मा, एडवोकेट– अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट की ओर

आदेश

दिनांक 15.09.2022

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 07.07.2022 के विरूद्व मय प्रा0प0 स्थगन के पेश की गई है। संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार झुंझुनूं ने दिनांक 16.06.2022 को अपीलान्ट्स को पटवार हल्का बुडाना की रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी मानते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किये। अपीलान्ट्स ने दिनांक 28.06.2022 को पत्रावली मे जबाब प्रस्तुत किया तथा कथन किया कि उसके द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नही किया गया है एवं बहस हेतु समय चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी विधिक प्रक्रिया को अपनाये दिनांक 07.07.2022 को अपीलान्ट्स को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना एवं विधि की सम्यक् प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलान्ट्स को अतिक्रमी घोषित कर दिया एवं ग्राम बुडाना की भूमि खसरा नं0 32 कुल रकबा 0.57 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन रास्ता मे से 0.01 हैक्टर पर से बेदखल करने के आदेश दिये एवं अपीलान्ट्स पर शास्ति भी अधिरोपित की। उक्त निर्णय दिनांक 07.07.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.07.2022 [illegible] विधि, न्याय एवं पत्रावली है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 07.07.2022 पारित करने से [illegible] तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन नही किया है एवं ना ही इस संबंध मे कोई निष्कर्ष [illegible] है। अपीलान्ट्स ग्राम [illegible] बुडाना तहसील झुंझुनूं मे स्थित भूमि खसरा नं0 32 रकबा 0.01 हैक्टर मे अतिचारी नही है बल्कि उक्त वर्णित भूमि खसरा नं0 32 रकबा 0.57 हैक्टेयर की सीमा लगती ही अपीलान्ट्स की पैतृक भूमि खसरा नं0 31 स्थित है तथा अपीलान्ट्स अपनी भूमि खसरा नं0 31 पर ही काबिज है। धारा 91 भू राजस्व अधिनियम मे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण होने पर अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही की जा सकती है परन्तु उपरोक्त वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.10.10 16:59:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

खसरा नं0 32 रकबा 0.57 हैक्ट0 किस्म गैर मुमकीन रास्ता के नाम से दर्ज है। उपरोक्त वर्णित जमीन राजकीय भूमि नही है एवं ना ही अपीलान्ट्स ने किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। सरकार केवल राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही कर सकती है। अतः स्पष्ट है कि अपीलान्ट्स के विरूद्व धारा 91 भू राजस्व अधिनियम मे कार्यवाही नही की जा सकती। अपीलान्ट्स ने उपरोक्त विवादित खसरा नं0 32 की सीमा लगती अपनी पैतृक भूमि खसरा नं0 31 का सीमाज्ञान करवाने के लिए तहसीलदार झुंझुनूं के समक्ष आवेदन कर रखा है, परन्तु तहसीलदार झुंझुनूं ने अपीलान्ट्स की भूमि का सीमाज्ञान नही किया। अपीलान्ट्स अपने खसरा नं0 31 की भूमि पर ही काबिज है तथा उन्होने किसी प्रकार का अतिक्रमण खसरा नं0 32 की भूमि पर नही कर रखा है। यदि तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा मौके पर अपीलान्ट्स की भूमि का सीमाज्ञान किया जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलान्ट्स ने खसरा नं0 32 रकबा 0.01 हैक्टेयर की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही कर रखा है। तहसीलदार झुंझुनूं ने मौके की बिना किसी प्रकार की कोई जांच किये ही सरसरी तौर पर यह आदेश पारित किया है। अतः अपीलान्ट्स के विरूद्व किसी भी प्रकार का बेदखली का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नही था। प्राकृतिक न्याय के अनुसार किसी भी व्यक्ति के विरूद्व कोई आदेश पारित करने से पूर्व उसे अपना पक्ष रखने का तथा उसे सुने जाने का पूर्ण अधिकार है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र संक्षिप्त प्रकिया के आधार पर अपनी पैतृक जमीन पर गत 50–60 वर्षो से भी अधिक समय से काबिज अपीलान्ट्स को बेदखल करने का आदेश कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना ही एकतरफा आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो अपीलान्ट्स को सुना ना ही पत्रावली पर बहस सुनी गई जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट प्रतीत होता है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं का आदेश दिनांक 07.07.2022 को अपास्त किया जावे।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 07.07.2022 पारित करने से पूर्व राजस्व रिकार्ड तथा तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन नही किया है एवं ना ही इस संबंध मे कोई निष्कर्ष दिया है। अपीलान्ट्स ग्राम बास बुडाना तहसील झुंझुनूं मे स्थित भूमि खसरा नं0 32 रकबा 0.01 हैक्टर मे अतिचारी नही है बल्कि उपरोक्त वर्णित जमीन खसरा नं0 32 रकबा 0.57 हैक्टेयर की सीमा लगती ही अपीलान्ट्स की पैतृक भूमि खसरा नं0 31 स्थित है तथा अपीलान्ट्स अपनी भूमि खसरा नं0 31 पर ही काबिज है। धारा 91 भू राजस्व अधिनियम मे राजकीय भूमि पर अतिक्रमण होने पर अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही की जा सकती है परन्तु उपरोक्त वर्णित खसरा नं0 32 रकबा 0.57 हैक्ट0 किस्म गैर मुमकीन रास्ता के नाम से दर्ज है। उपरोक्त वर्णित जमीन राजकीय भूमि नही है एवं ना ही अपीलान्ट्स ने किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। सरकार केवल राजकीय भूमि पर अतिक्रमी के विरूद्व कार्यवाही कर सकती है। अतः स्पष्ट है कि अपीलान्ट्स के विरूद्व धारा 91 भू राजस्व अधिनियम मे कार्यवाही नही की जा सकती। अपीलान्ट्स ने उपरोक्त विवादित खसरा नं0 32 की सीमा लगती अपनी पैतृक भूमि खसरा नं0 31 का सीमाज्ञान करवाने के लिए तहसीलदार झुंझुनूं के समक्ष आवेदन कर रखा है, परन्तु तहसीलदार झुंझुनूं ने अपीलान्ट्स की भूमि का सीमाज्ञान नही किया। अपीलान्ट्स अपने खसरा नं0 31 की भूमि पर ही काबिज है तथा उन्होने किसी प्रकार का अतिक्रमण खसरा नं0 32 की भूमि पर नही कर रखा है। यदि तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा मौके पर अपीलान्ट्स की भूमि का सीमाज्ञान किया जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलान्ट्स ने खसरा नं0 32 रकबा 0.01 हैक्टेयर की भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही कर रखा है। तहसीलदार झुंझुनूं ने मौके की बिना किसी प्रकार की कोई जांच किये ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.10.10 16:59:46 IST
Reason: SelfAttested

A 4/3

सरसरी तौर पर यह आदेश पारित किया है। अतः अपीलान्ट्स के विरूद्व किसी भी प्रकार का बेदखली का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नही था। प्राकृतिक न्याय के अनुसार किसी भी व्यक्ति के विरूद्व कोई आदेश पारित करने से पूर्व उसे अपना पक्ष रखने का तथा उसे सुने जाने का पूर्ण अधिकार है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र संक्षिप्त प्रक्रिया के आधार पर अपनी पैतृक जमीन पर गत 50–60 वर्षो से भी अधिक समय से काबिज अपीलान्ट्स को बेदखल करने का आदेश कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये बिना ही एकतरफा आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो अपीलान्ट्स को सुना ना ही पत्रावली पर बहस सुनी गई जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार झुंझुनूं का आदेश दिनांक 07.07.2022 को अपास्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने ग्राम बास बुडाना स्थित सरकारी भूमि ख0न0 32 रकबा 0.57 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन रास्ता मे से 0.01 है0 भूमि पर तारबन्दी कर अवैध अतिक्रमण किया है। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकीन रास्ता है जिस पर अपीलान्ट्स को अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नही है। विवादित भूमि के मौके अतिक्रमण हटाया जाकर अदालत मातहत के निर्णय की पालना हो चुकी है। अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। अपीलान्ट ने ग्राम बास बुडाना स्थित सरकारी भूमि ख0न0 32 रकबा 0.57 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन रास्ता मे से 0.01 है0 भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकीन रास्ता है जिस पर अपीलान्ट्स को अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नही है। अदालत मातहत ने बाद जांच उचित निर्णय पारित किया है। हम अदालत मातहत के निर्णय मे कोई हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.07.2022 यथावत रखा किया जाता है। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत को निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.10.10 16:59:46 IST
Reason: SelfAttested